– निर्णय –

फार्म–ए

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

पीठासीन – अनिल कुमार वर्मा– प्रथम (एच.जे.एस.) जेओ यूपी06552

UPUN010063742022

(निर्णय तिथि – 16.06.2026)

सत्र परीक्षण संख्या – 1273/2022

मुकदमा अपराध संख्या – 458/2022

धारा–60(2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 272 भा0दं0सं0

थाना – मौरावां, जनपद – उन्नाव।

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. नन्हकउऊ पुत्र इंदल 2. सूरज पुत्र नन्हकऊ निवासीगण– ग्राम छोटी गौरी, थाना मौरावां, जनपद उन्नाव।
द्वारा अधिवक्ता	श्री मनोज सिंह चंदेल एडवोकेट

फार्म–बी

अपराध की तिथि	11.09.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	11.09.2022
आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए जाने की तिथि	31.10.2022
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	20.01.2023
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	09.10.2024
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	04.06.2026
निर्णय की तिथि	16.06.2026

अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दिया गया दण्ड	धारा–428 दं0प्र0सं0 के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरूद्धि की अवधि
1	1.नन्हऊ 2.सूरज	11.09.22	07.11.22	धारा 60(2) आबकारी अधिनियम एवं	60(2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 272	निर्णय में नीचे अंकित	–

				धारा 272 भा0दं0सं0	भा0दं0सं0 दोषमुक्त	है।	

फार्म–सी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू0–1	चारू कुमार	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
पी0डब्लू0–2	उ0नि0 मोर मुकुट पाण्डेय	वादी मुकदमा / तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–3	उ0नि0 विनय कुमार	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–4	सेवानिवृत उप निरीक्षक कमलेश प्रसाद तिवारी	विवेचक

बी. प्रतिरक्षा साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।		

सी. न्यायालय साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।		

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों / प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन प्रपत्र / प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण / उल्लेख
01	प्रदर्श क–1 प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट जी0डी0 कायमी
02	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–2	गिरफ्तारी प्रपत्र
03	प्रदर्श क–4,	पी0डब्लू0–3	फर्द बरामदगी
04	प्रदर्श क–4ए, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–4	नक्शानजरी, प्राप्ति रसीद एवं आरोपपत्र

बी. प्रतिरक्षा प्रपत्र / प्रदर्श–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण / उल्लेख
कोई नहीं			

सी. न्यायालय प्रपत्र / प्रदर्श–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण / उल्लेख
कोई नहीं			

डी. वस्तु प्रदर्श–

क्रम सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण / उल्लेख
01	वस्तु प्रदर्श–1 लगायत 7	पी0डब्लू0–2	दो प्लास्टिक के ड्रम, दो एल्युमिनियम के पतीले, एक रबड़ पाइप, नमूना यूरिया, एक प्लास्टिक की बोतल

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में मु0अ0सं0–458/2022 की विवेचना के उपरान्त थाना मौरावां, जिला उन्नाव द्वारा अभियुक्तगण नन्हकऊ व सूरज के विरूद्ध अंतर्गत धारा–272 भा0दं0सं0 एवं 60(2) आबकारी अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा, उन्नाव में प्रेषित किया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा–उन्नाव द्वारा विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किया गया।

2. प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप में है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक मोर मुकुट पाण्डेय ने इस आशय की फर्द बरामदगी थानाध्यक्ष मौरावां को दी कि दिनांक 11.09.2022 को वह अपने हमराह हे0कां0 विनय कुमार यादव, कां0 आकाश सिंह, कां0 दिगम्बर सिंह के साथ थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम व आबकारी अभियान में मामूर था। जब पुलिस दल गश्त करते हुए सरैया बाजार पहुॅचे तो मुखविर ने रोक कर बताया कि छोटी गौरी में पश्चिम तरफ जंगल में भट्ठी पर कच्ची शराब में दो व्यक्ति मिलावट कर रहे है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस वाले मय मुखविर के साथ गन्तव्य को रवाना हुए। छोटी गौरी के पश्चिम तरफ जंगल में इशारा किया कि जहॉ पर धुआं उठ रहा है, वहीं पर दोनों व्यक्ति मौजूद है, कह कर मुखविर चला गया। पुलिस वाले छुपते छिपाते एकबारगी दविश देकर मौके पर समय करीब 11 बजे दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया, देखा कि एक व्यक्ति भट्ठी में आग लगा रहा था, दूसरा व्यक्ति पास में रखे एक पन्नी से कुछ सफेद पदार्थ लेकर दोनों ड्रमों में डाल रहा था। मौके पर भट्ठी में पानी डाल कर बुझाया गया तथा भट्ठी पर चढ़ी हुई 2 एल्युमिनियम के पतीला बरामद हुए, एक पतीला से दूसरे पतीले में रबड़ के पाइप के माध्यम से कच्ची शराब तैयार हो रही थी। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम नन्हकऊ व दूसरे ने अपना नाम सूरज बताया। जामातलाशी से भट्ठी के पास 2 अदद ड्रम में 100 लीटर कच्ची शराब भरी पायी गयी। दोनों ड्रमों के आसपास यूरिया बिखरी हुई है। एक प्लास्टिक की पन्नी में करीब 300 ग्राम यूरिया बरामद हुई व भट्ठी के पास रखा 5 कुन्तल लहन को

मौके पर नष्ट किया गया। पूछने पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि भट्ठी पर कच्ची शराब बना कर उसमें यूरिया मिलाकर बेचते है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा0दं0सं0 से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। बरामद दोनों ड्रमो में से 500–500 ग्राम अपमिश्रित कच्ची शराब निकाल कर नमूना मुहर तैयार किया गया। बरामद यूरिया 300 ग्राम को सील कर सर्व मुहर कर नमूना तैयार किया गया। बरामद दोनों ड्रमों को बंद करके सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया तथा बरामद 2 अदद एल्युमिनियम के पतीलों में चिटबंदी की गयी। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया। फर्द मौके पर वादी उपनिरीक्षक द्वारा लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुॅचकर अकब से अभियुक्तगण के परिजनों को दी जावेगी। फर्द की कार्बन प्रति दोनों अभियुक्तों की सहमति से अभियुक्त नन्हकऊ को दी गयी।

3. उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार अभियुक्तगण नन्हकऊ व सूरज के विरूद्ध धारा 272 भा०दं०सं० व 60 (2) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

4. उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचना की गयी। विवेचक ने धारा–161 दं0प्र0सं0 के तहत गवाहों का बयान लिया तथा नक्शा–नजरी बनाया। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण नन्हकऊ व सूरज के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–272 भा०दं०सं० व 60 (2) आबकारी अधिनियम में विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्तगण उपस्थित आये तो उनको न्यायालय द्वारा धारा–207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी तथा प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा–उन्नाव के आदेश दिनांक–23.11.2022 द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

5. सत्र न्यायालय ने विचारण के प्रारम्भ में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का सारांश प्रस्तुत करते हुए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर मामले को प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना की। तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक–20.01.2023 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–272 भा०दं०सं० व 60(2) आबकारी अधिनियम विरचित करके पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्न साक्षियों क्रमशः पी०डब्लू०1 कां0 मोहर्रिर चारू कुमार (एफ.आई.आर. लेखक), पी०डब्लू०2 उपनिरीक्षक मोर मुकुट पाण्डेय वादी मुकदमा, पी०डब्लू०3 उपनिरीक्षक विनय कुमार एवं पी०डब्लू०4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक कमलेश प्रसाद तिवारी (विवेचक) को परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1, कायमी जी.डी. प्रति प्रदर्श क–2, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–3, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4, नक्शानजरी प्रदर्श क–4ए, माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श क–5 तथा आरोप पत्र प्रदर्श क–6 प्रस्तुत किये गये है।

7. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण नन्हकऊ एवं सूरज का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 29.01.2026 को अंकित किया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत होना। पी०डब्लू० 1 लगायत पी०डब्लू० 4 के द्वारा गलत साक्ष्य दिया जाना। अभियोजन प्रपत्र गलत तैयार किया जाना। उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलाया जाना तथा सफाई साक्ष्य नहीं देना कहा है।

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज सिंह चंदेल तथा राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री अनिल कुमार त्रिपाठी के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित पी०डब्लू०–1 कां0 मोहर्रिर चारू कुमार ने शपथपूर्वक कथन किया कि वह दिनांक 11.09.2022 को थाना मौरावा में कार्यालय लेख/कां0 मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को 12.22 बजे पर उपनिरीक्षक मोरमुकुट पाण्डेय, हे0कां0 विनय कुमार यादव, कां0 आकाश, दिगम्बर सिंह के साथ थाने पर वह दो नफर अभियुक्त के साथ मय दो ड्रम प्लास्टिक के करीब जिसमें 300 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने के उपकरण, गिरफ्तारी प्रपत्र के साथ उपस्थित हुए थे। फर्द के आधार पर उसके द्वारा बोल बोल कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 450/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा०दं०सं० दर्ज किया गया था। उसके द्वारा कम्प्यूटर पर तहरीर बोल बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर अनुराग सिंह से लिखाई थी। उस पर थाना प्रभारी अमर नाथ सिंह यादव द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। वह उनके हस्ताक्षर को पहचानता है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली में कागज सं0 4क/1 से लेकर 4क/3 लगी हुई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का खुलासा उसके द्वारा थाने की जी0डी0 नं0 30/12.22 बजे दिनांक 11.09.2022 को कम्प्यूटर पर लेखबद्ध की गयी थी, जो पत्रावली पर है, जिसे वह प्रमाणित करता है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क–1 व जी0डी0 पर प्रदर्श क–2 डाला गया है।

10. **पी०डब्लू०–2 उपनिरीक्षक मोर मुकुट पाण्डेय** ने शपथपूर्वक कथन किया कि वह दिनांक 11.09.2022 को एस.आई. के पद पर थाना मौरावां जनपद उन्नाव में तैनात था। उस दिन वह हमराहीगणों के साथ देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म व आबकारी अभियान में गया था। वे लोग गश्त करते हुए सरैया बाजार पहुॅचे तो मुखविर खास ने बताया कि ग्राम छोटी गौरी के पश्चिम जंगल में अवैध कच्ची शराब की भट्ठी चढ़ी हुई है, जिसमें दो व्यक्ति अवैध कच्ची शराब में यूरिया मिलाकर अपमिश्रण कर रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस वाले मुखविर खास को लेकर ग्राम छोटी गौरी के पश्चिम तरफ जंगल में पहुॅचे। घटना से थोड़ी दूर पर रूक कर इशारा कि सामने से धुआं आ रहा था है, वही पर दो व्यक्ति अवैध कच्ची शराब बनाकर अपमिश्रण कर रहे है। यह कह कर मुखविर चला गया। इसके बाद पुलिस वाले छिपते–छिपाते हुए जहॉ पर धुआं उठ रहा था, वहॉ पर पहुॅचे तो देखा कि एक व्यक्ति भट्ठी में आग लगा रहा है, जिसमें दो पतीले चढ़े हुए है, दूसरा व्यक्ति भट्ठी के पास रखे एक पन्नी से सफेद पदार्थ निकालकर ड्रम में डाल रहा था। दोनों व्यक्तियों को समय करीब 11 बजे दिन में पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम नन्हकऊ तथा दूसरे ने अपना नाम सूरज बताया। दोनों व्यक्तियों से पहले ड्रम से 200 लीटर व दूसरे ड्रम से 100 लीटर कुल 300 लीटर कच्ची देशी अपमिश्रित शराब बरामद हुई। दोनों प्लास्टिक ड्रमो सें आधा–आधा लीटर कच्ची देशी शराब निकाल कर एक बोतल में नमूना मोहर हेतु रखा गया तथा भट्ठी के पास बिखरी हुई सफेद यूरिया को इकट्ठा करके एक पन्नी में रखा गया जो लगभग 300 ग्राम पाया गया। मौके पर बरामद दोनों ड्रमों, प्लास्टिक की बोतल को सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा भट्ठी पर चढ़े दोनों पतीलों को उतरवा कर चिटबंदी करवाई गयी। मौके पर भट्ठी की आग को पानी डाल कर बुझाया गया तथा भट्ठी के पास रखे लगभग 5 कुन्टल लहन को नष्ट करवाया गया। कच्ची देशी शराब एक पतीले से दूसरे पतीले में प्लास्टिक नली से डाला जा रहा था। दोनों व्यक्तियों का यह कृत्य धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा0दं0सं0 का अपराध पाया गया। दोनों व्यक्तियों से अवैध कच्ची देशी अपमिश्रित शराब बनाने के बारे में लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो वे लाइसेंस नहीं दिखा सके और बताया कि कच्ची देशी शराब बनाकर व उसमें यूरिया मिला कर उसे बेचकर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करते है। दोनों व्यक्तियों को जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। मौके पर जनता के गवाह गवाही देने हेतु तैयार नहीं हुए। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का नियमानुसार पालन किया गया था। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व तलाशी से पूर्व पुलिस वाले ने मय मुखविर एक दूसरे की जामातलाशी ली थी, जिसमें किसी के पास

अवैध वस्तु नहीं पाई गयी थी। शामिल पत्रावली गिरफ्तारी प्रपत्र कागज सं0 5क/5 को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। बरामदशुदा माल सील मोहर हालत में थाने लेकर आया था। फर्द के आधार पर मुकदमा कायम कराया था। माल व मुल्जिमान को नियमानुसार दाखिल किया गया था। शामिल पत्रावली फर्द को देखकर इस साक्षी ने कहा कि यह उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में लिखी थी। उसके द्वारा अभियुक्तगण के पास से बरामद माल को दो प्लास्टिक के ड्रम जिनमें कच्ची शराब है, एक में लगभग सौ लीटर, दूसरे में लगभग दो सौ लीटर कच्ची शराब है। दो एल्युमिनियम के पतीले एक रबड़ पाइप व उसके द्वारा तैयार किया गया। नमूना यूरिया व एक प्लास्टिक की बोतल में शराब जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से वापस प्राप्त हुई है, न्यायालय में पैरोकार द्वारा लाई गयी। साक्षी ने कहा कि यही माल व नमूना मोहर मौके पर सील सर्व मोहर कर कब्जे में लिया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हुए है, जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 1 लगायत 7 डाला गया।

11. **पी०डब्लू०–3 उपनिरीक्षक विनय कुमार** ने मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया कि दिनांक 11.09.2022 को वह हे0कां0 के पद पर थाना मौरावां में तैनात था। उस दिन एस.आई. मोर मुकुट पाण्डेय के साथ कां0 आकाश सिंह व कां0 दिगम्बर सिंह के साथ देखभाल क्षेत्र व आबकारी अभियान गश्त करते हुए सरैया बाजार पहुॅचा। वहीं पर मुखविर ने बताया कि छोटी गौरी में पश्चिम तरफ दो व्यक्ति जंगल में भट्ठी पर कच्ची शराब में मिलावट कर रहे है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस वाले मय मुखविर आपस में एक दूसरे की जामातलाशी लेकर विश्वास किया। पुलिस वालो के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले मुखविर को साथ लेकर अपने बताये हुए स्थान पर अपनी–अपनी मोटरसाइकिल से चल दिये। मुखविर ने छोटी गौरी पहुॅच कर जंगल में जहॉ पर धुआं उठ रहा है, उस ओर इशारा किया और मुखविर वहॉ से चला गया। उसके बाद पुलिस वालों ने छुपते छिपाते एकबारगी दविश देकर दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया और देखा कि एक व्यक्ति भट्ठी में आग लगा रहा था, दूसरा व्यक्ति एक पन्नी में रखे सफेद पदार्थ को ड्रमों में मिला रहा है। मौके पर भट्ठी में पानी डाल कर बुझाया गया और भट्ठी पर चढ़े दो एल्युमिनियम के पतीले वरामद हुए, एक पतीले से दूसरे पतीले में रबड़ के पाइप के माध्यम से कच्ची शराब तैयार हो रही थी। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम नन्हकऊ व दूसरे ने अपना नाम सूरज बताया। जामातलाशी से भट्ठी के पास 2 अदद ड्रम में कुल 300 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। एक ड्रम में 100 लीटर व दूसरे में 200 लीटर कच्ची शराब पायी गयी। दोनों ड्रमों के आसपास यूरिया विखरी थी

और एक प्लास्टिक की पन्नी में करीब 300 ग्राम यूरिया बरामद हुई। भट्ठी के पास रखा 5 कुन्तल लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि वे लोग भट्ठी पर कच्ची शराब बना कर उसमें यूरिया मिलाकर बेचते है। अभियुक्तगणों से शराब बनाने का लाइसेंस मांगा तो नहीं दिखा सके। मौके पर गवाही हेतु जनता के गवाहों से कहा गया तो भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुए। अभियुक्तगण को उनके जुर्म धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा0दं0सं0 के अपराध से अवगत कराकर समय 11 बजे दिन में हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी मेमो मौके पर दरोगाजी ने तैयार किया था। गिरफ्तारी मेमो पत्रावली पर कागज सं0 5क/5 है जिस पर पूर्व प्रदर्शित प्रदर्श क–3 पड़ा है। दोनों ड्रमों से 500–500 ग्राम अपमिश्रित कच्ची शराब निकाल कर नमूना मुहर तैयार किया गया। बरामद 300 ग्राम यूरिया को एक पन्नी में रखकर सील सर्व मुहर किया गया और दोनों ड्रमों को बंद करके सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया तथा बरामद दो एल्युमिनियम के पतीलों में चिटबंदी की गयी। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया। फर्द मौके पर दरोगा जी के द्वारा लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये। अभियुक्तगणें के गिरफ्तारी की सूचना अकब से दी गयी। फर्द की कार्बन प्रति दोनों अभियुक्तों की सहमति से अभियुक्त नन्हकऊ को दी गयी। फर्द पत्रावली में दाखिल कागज सं0 4क/4 है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। फर्द पर पूर्व प्रदर्शित प्रदर्श क–4 पड़ा है। उसके बाद पुलिस वालों अभियुक्तगण को बरामद माल, नमूना व सम्बन्धित प्रपत्र के साथ थाने आये व हे0कां0 को सुपुर्द किया और दरोगाजी द्वारा दी गयी फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

12. **पी०डब्लू०–4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक कमलेश प्रसाद तिवारी** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 11.09.2022 को थाना मौरावां जनपद उन्नाव बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 458/2022 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम व 272 भा0दं0सं0 की विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरांत सी.डी. प्रथम किता कर नकल चिक, नकल रपट कायमी, बयान लेखक एफ.आई.आर. कां0 चारू कुमार के अंकित किये थे। उसी दिन अभियुक्त नन्हकऊ व सूरज के बयान अंकित किये थे। सी0डी0 2 दिनांक 19.09.2022 किता कर जिसमें मुकदमा वादी मोर मुकुट पाण्डेय के बयान अंकित किये थे, जिन्होंने फर्द से सम्बन्धित बयान दिया था व फर्द के साक्षी हेड कां0 विनय कुमार, कां0 आकाश सिंह, कां0 दिगम्बर के बयान अंकित किये थे, जिन्होंने वादी मुकदमा के बयान का समर्थन किया था। सी.डी. 3 दिनांक 27.09.2022 किता कर अभियुक्त का रिमाण्ड

लिया गया। सी.डी. 4 दिनांक 02.10.2022 को वादी की निशादेही पर घटना का नक्शानजरी तैयार किया था। नक्शानजरी पत्रावली पर मौजूद है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, पुष्ट करता है, जिस पर प्रदर्श क–4ए डाला गया। उसी दिन मुकदमा से सम्बन्धित जो माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया था, उसकी प्राप्ति रसीद शामिल विवेचना किया गया जो पत्रावली में शामिल है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। माल ले जाने वाले कां0 राकेश शर्मा के बयान अकित किये थे। उसके द्वारा की गयी तमामी विवेचना में अभियुक्त नन्हकऊ व सूरज के विरूद्ध धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा0दं0सं0 का अपराध पाया गया था। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या 413/2022 न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोपपत्र पत्रावली में मौजूद है जिस पर उसके हस्ताक्षर है पुष्ट करता है, जिस पर प्रदर्शक–6 डाला गया।

13. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण कथित स्थान पर अपमिश्रित कच्ची शराब नहीं बना रहे थे और न ही उनके पास से दो प्लास्टिक के ड्रम में 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी थी और न ही उसमें यूरिया अपमिश्रित कर अपायकर बनाया गया। कथित घटनास्थल से उनके कब्जे से दो प्लास्टिक के ड्रम, दो अल्युमिनियम के पतीले व एक रबड़ पाइप मौके से बरामद नहीं की गयी थी। यह भी तर्क दिया गया है कि पुलिस वालों की किस जी.डी. से गश्त हेतु रवानगी की गयी थी, इसका कोई उल्लेख फर्द बरामदगी में नहीं है और न ही रवानगी जी0डी0 पत्रावली में दाखिल है। घटनास्थल मुख्य मार्ग गॉव की सड़क है और उस पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। घटना के सभी गवाह पुलिसकर्मी है, जनता के किसी साक्षी को लेने का प्रयास नहीं किया गया है और न ही फर्द बरामदगी में यह अंकित किया है कि उन्होंने जनता के साक्षी लेने का प्रयास किया था, परन्तु पी0डब्लू0–2 व 3 ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने जनता के साक्षी लेने का प्रयास किया था, किन्तु कोई भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ था, परन्तु उनके नाम नहीं बताये है जिन्होंने यह कहा हो कि वे भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में घ टनास्थल पर जाने से पहले पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की तलाशी लेना अंकित नहीं है। वादी उपनिरीक्षक मोर मुकुट पाण्डेय व उपनिरीक्षक विनय कुमार ने विवेचक को धारा 161 दं0प्र0सं0 में एक दूसरे की तलाशी वाली बात नहीं बतायी है, जबकि पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 ने न्यायालय में दिये गये बयान में एक दूसरे की तलाशी लेने का कथन किया है। इस प्रकार दोनों साक्षियों ने फर्द बरामदगी व बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 से भिन्न न्यायालय में पहली बार ''एक दूसरे की तलाशी लेने के सम्बन्ध में एवं जनता के साक्षी लेने के सम्बन्ध में बयान दिया है। इसलिए

सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मेमो पी0डब्लू0–2 द्वारा मौके पर लिखना बताया है, उसमें अपराध संख्या भी अंकित किया है और एक ही पेन से पूरा विवरण अंकित किया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी मेमो घटनास्थल पर नहीं बनाया गया है, बल्कि गुडवर्क दिखाने के लिए पुलिस अभियुक्तगण को उनके घर से पकड.कर थाने ले आयी और थाने पर ही सारी लिखा पढ़ी की गयी है। यह भी तर्क दिया गया है कि जो माल न्यायालय में साबित किया गया है, वह माल न्यायालय के अन्दर नहीं लाया गया, बल्कि वह माल न्यायालय परिसर में न्यायालय के बाहर लोडर पर रखा रहा। उसको न्यायालय में खोलकर देखा नहीं गया। इसलिए मौके पर की गयी बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है। यह भी तर्क दिया गया है कि पुलिस द्वारा भट्ठी, लकड़ी, कोयला राख बरामद नहीं की गयी और न ही तौल माप के लिए कोई मौके पर तराजू व बांट नहीं था, जिससे शराब व लहन को तौला गया हो, लहन किस सामग्री का था, इसका उल्लेख फर्द में नहीं है। लहन कहॉ ले जाकर नष्ट किया गया, इसका भी उल्लेख फर्द में नहीं है। पुलिस द्वारा मौके पर किसी सामग्री का कोई फोटो नहीं खींचा और न ही वीडियो बनाया। यह भी तर्क किया गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उक्त शराब को खरीदने हेतु कितने ग्राहक मौके पर खड़े थे और शराब पीने से कितने लोग बीमार हुए। यह भी तर्क दिया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 11.3 आयतन पाया जाना अंकित है, किन्तु यूरिया की मात्रा नहीं बतायी है, केवल यह अंकित है कि दोनों नमूनों में यूरिया की उपस्थिति पायी गयी, परन्तु जिससे अपमिश्रित शराब व यूरिया के नमूने सील सर्व मोहर कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जॉच हेतु भेजे थे, उनकी नमूना मोहर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जो शराब बरामद हुई थी, वही शराब विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजी गयी थी, इसलिए बरामद कथित शराब व यूरिया से सम्बन्धित जॉच रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। उपरोक्त तर्को के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

14. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क किया गया है कि घटना की तिथि, समय व स्थान पर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को कच्ची शराब बनाते हुए पकड़ा गया है और उनके कब्जे से शराब बनाने के उपकरण, दो प्लास्टिक के ड्रम में कुल 300 लीटर यूरिया मिश्रित कच्ची शराब बरामद की गयी थी। अभियुक्तगण द्वारा कच्ची शराब को विक्रय के आशय से यूरिया का अपमिश्रण कर अपायकर बनाया गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–7 में बरामद शराब में इथाइल अल्कोहल एवं यूरिया पाई गयी है, जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा कच्ची शराब का अवैध रूप से निर्माण कर उसमें यूरिया मिश्रित कर

अपायकर बनायी गयी थी, जो जीवन के लिए हानिकारक थी। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।?

15. उभयपक्ष के तर्को के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–2 उप निरीक्षक मोर मुकुट पाण्डेय एवं पी0डब्लू0–3 उपनिरीक्षक विनय कुमार के बयान का अवलोकन किया। पी0डब्लू0–2 ने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 11.09.2022 को वह हमराहीगणों के साथ देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म व आबकारी अभियान में गश्त करते हुए सरैया बाजार पहुॅचे तो मुखविर खास ने बताया कि ग्राम छोटी गौरी के पश्चिम जंगल में अवैध कच्ची शराब की भट्ठी चढ़ी हुई है, जिसमें दो व्यक्ति अवैध कच्ची शराब में यूरिया मिलाकर अपमिश्रण कर रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस वाले मुखविर खास को लेकर ग्राम छोटी गौरी के पश्चिम तरफ जंगल में पहुॅचे। घटना से थोड़ी दूर पर रूक कर इशारा कि सामने से धुआं आ रहा था है, वहीं पर दो व्यक्ति अवैध कच्ची शराब बनाकर अपमिश्रण कर रहे है। यह कह कर मुखविर चला गया। इसके बाद पुलिस वाले छिपते–छिपाते हुए जहॉ पर धुआं उठ रहा था, वहॉ पर पहुॅचे तो देखा कि एक व्यक्ति भट्ठी में आग लगा रहा है, जिसमें दो पतीले चढ़े हुए है, दूसरा व्यक्ति भट्ठी के पास रखे एक पन्नी से सफेद पदार्थ निकालकर ड्रम में डाल रहा था। दोनों व्यक्तियों को समय करीब 11 बजे दिन में पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम नन्हकऊ तथा दूसरे ने अपना नाम सूरज बताया। दोनों व्यक्तियों से पहले ड्रम से 200 लीटर व दूसरे ड्रम से 100 लीटर कुल 300 लीटर कच्ची देशी अपमिश्रित शराब बरामद हुई। दोनों प्लास्टिक ड्रमो सें आधा–आधा लीटर कच्ची देशी शराब निकाल कर एक बोतल में नमूना मोहर हेतु रखा गया तथा भट्ठी के पास बिखरी हुई सफेद यूरिया को इकट्ठा करके एक पन्नी में रखा गया जो लगभग 300 ग्राम पाया गया। मौके पर बरामद दोनों ड्रमों, प्लास्टिक की बोतल को सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा भट्ठी पर चढ़े दोनों पतीलों को उतरवा कर चिटबंदी करवाई गयी। मौके पर भट्ठी की आग को पानी डाल कर बुझाया गया तथा भट्ठी के पास रखे लगभग 5 कुन्टल लहन को नष्ट करवाया गया। कच्ची देशी शराब एक पतीले से दूसरे पतीले में प्लास्टिक नली से डाला जा रहा था। दोनों व्यक्तियों से अवैध कच्ची देशी अपमिश्रित शराब बनाने के बारे में लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो वे लाइसेंस नहीं दिखा सके और बताया कि कच्ची देशी शराब बनाकर व उसमें यूरिया मिला कर उसे बेचकर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करते है। दोनों व्यक्तियों को जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। मौके पर जनता के गवाह गवाही देने हेतु तैयार नहीं हुए। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व तलाशी से पूर्व पुलिस वाले ने मय मुखविर एक दूसरे की जामातलाशी ली थी, जिसमें किसी के

पास अवैध वस्तु नहीं पाई गयी थी। माल व मुल्जिमान को नियमानुसार दाखिल किया गया था। उसके द्वारा अभियुक्तगण के पास से बरामद माल को दो प्लास्टिक के ड्रम जिनमें कच्ची शराब है, एक में लगभग सौ लीटर, दूसरे में लगभग दो सौ लीटर कच्ची शराब है। दो एल्युमिनियम के पतीले, एक रबड़ पाइप व उसके द्वारा तैयार किया गया। नमूना यूरिया व एक प्लास्टिक की बोतल में शराब जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से वापस प्राप्त हुई है, न्यायालय में पैरोकार द्वारा लाई गयी। साक्षी ने कहा कि यही माल व नमूना मोहर मौके पर सील सर्व मोहर कर कब्जे में लिया गया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि पी0डब्लू0–3 ने भी अपने साक्ष्य में की है।

16. वादी मुकदमा व उसके हमराहीगण की थाने से किस जी.डी. से गश्त हेतु रवानगी की गयी थी, इसका कोई उल्लेख फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4ए में नहीं है और न ही रवानगी की जी0डी0 पत्रावली में दाखिल की गयी है। पी0डब्लू0–3 ने जिरह के पृष्ठ–4 पर कहा है कि थाने से रवानगी कितने बजे हुई, याद नहीं है, न ही इस फर्द में उल्लेख है। पी0डब्लू0–4 विवेचक ने जिरह के पृष्ठ–2 पर कहा है कि दौरान विवेचना वादी की रवानगी जी0डी0 प्राप्त नहीं की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा व उनके हमराही पुलिस कर्मियों की थाने से रवानगी की जी0डी0 का उल्लेख फर्द बरामदगी में न होने से उनकी घटनास्थल पर बरामदगी संदिग्ध हो जाती है। जैसा कि दाण्डिक अपील संख्या 1134/2013 दाण्डिक अपील संख्या 1134/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.4.2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि पुलिस की थाने से रवानगी जी.डी. का उल्लेख फर्द बरामदगी में उल्लेख का अभाव अभियोजन मामले पर संदेह उत्पन्न कर सकता है।

17. पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी प्रदर्श क–4ए का अवलोकन से विदित होता है कि घटनास्थल मुख्य मार्ग गॉव की सड़क है और जहॉ पर लोगों का आना जाना रहता है, परन्तु जनता के किसी व्यक्ति को गवाह बनाने का प्रयास नहीं किया। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4 में यह अंकित नहीं है कि वादी मुकदमा ने जनता के साक्षी लेने का प्रयास किया था, परन्तु पी0डब्लू0–2 व 3 ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने जनता के साक्षी लेने का प्रयास किया था, किन्तु कोई भलाई बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ था। यह कथन उक्त दोनों साक्षियों ने पहली बार न्यायालय में अपने साक्ष्य में बढ़ोत्तरी व सुधार किया है, इसलिए जनता के किसी व्यक्ति को गवाह बनाने के सम्बन्ध में किया गया कथन विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इसी तरह फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4 में घटनास्थल पर जाने से पहले पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की तलाशी लेने की बात अंकित नहीं है। वादी उपनिरीक्षक मोर मुकुट पाण्डेय व उपनिरीक्षक विनय कुमार ने विवेचक को धारा 161 दं0प्र0सं0 में भी एक दूसरे की

तलाशी वाली बात नहीं बतायी है, जबकि पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 ने न्यायालय में दिये गये बयान में एक दूसरे की तलाशी लेने का कथन किया है। इस प्रकार दोनों साक्षियों ने फर्द बरामदगी व बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 से भिन्न न्यायालय में पहली बार ''एक दूसरे की तलाशी लेने के सम्बन्ध में एवं जनता के साक्षी लेने के सम्बन्ध में बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जगरूप सिंह व अन्य 1993 सीआर.एल.जे. 2766(एचपी) में *यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि तथ्य के साक्षियों ने धारा 161 दं0प्र0सं0 में दिये गये बयान से अतिरिक्त न्यायालय में साक्ष्य के समय बढ़ोत्तरी की है या उसमें सुधार किया है, तो वह साक्ष्य विश्वसनीयता की श्रेणी में नहीं आता है।* प्रस्तुत मामले में भी पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 ने अपने साक्ष्य में उपरोक्त कथन में सुधार करते हुए एक दूसरे की तलाशी लेने के सम्बन्ध में एवं जनता के साक्षी लेने के सम्बन्ध में बढ़ोत्तरी पहली बार कथन न्यायालय में किया है। इसलिए दोनों साक्षियों का कथन विश्वसनीयता की श्रेणी में नहीं आता और उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

18. अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–3 का अवलोकन किया। गिरफ्तारी मेमो को पी0डब्लू0–2 द्वारा मौके पर लिखना बताया है और उसमें अपराध संख्या भी अंकित किया है और एक ही पेन से पूरा विवरण अंकित किया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि गिरफ्तारी मेमो घटनास्थल पर नहीं बनाया गया है, बल्कि गुडवर्क दिखाने के लिए पुलिस अभियुक्तगण को उनके घर से पकड़कर थाने ले आयी और थाने पर ही पूरी लिखा पढ़ी की गयी है। अपराध संख्या गिरफ्तारी मेमो पर तभी लिखा जा सकता है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जा चुकी हो। इस प्रकार भी अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

19. पी0डब्लू0–2 वादी मुकदमा ने जिरह के पृष्ठ–4 पर कहा है कि जो माल न्यायालय में साबित किया गया है, वह माल न्यायालय के अन्दर नहीं लाया गया बल्कि वह माल न्यायालय परिसर में लोडर पर न्यायालय के बाहर लाया गया है। पी0डब्लू0–2 ने अपने साक्ष्य में यह कहीं नहीं बताया कि उसके सामने न्यायालय में माल को खोल कर देखा गया था। इसी साक्षी ने पृष्ठ–4 पर कहा है कि उसके द्वारा तैयार किया गया नमूना यूरिया व एक प्लास्टिक की बोतल में शराब जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से वापस प्राप्त हुई है, न्यायालय में पैरोकार द्वारा लाई गयी है, साक्षी ने कहा कि यही माल व नमूना मोहर मौके पर सील सर्व मोहर कर कब्जे में लिया गया था, जबकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार दो प्लास्टिक की बोतल में शराब के नमूने भेजे गये थे, परन्तु पैरोकार केवल एक ही के नमूने वाली शराब बोतल लाया न्यायालय में साक्ष्य के समय लाया है। इसलिए पी0डब्लू0–2 का साक्ष्य अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

20. साक्षी पी0डब्लू0–2 व 3 द्वारा साक्ष्य में कहा गया कि भट्ठी जल रही थी और उस पर पतीले चढ़े हुए थे, किन्तु भट्ठी, लकड़ी, राख बरामद नहीं की गयी। इसलिए मौके पर शराब बनाने का तथ्य साबित नहीं होता है। फर्द बरामदगी में दो प्लास्टिक के ड्रमो में कुल 300 लीटर कच्ची शराब व 300 ग्राम यूरिया व पांच कुन्टल लहन बरामद होना बताया गया है, किन्तु तौल माप करने के लिए मौके पर कोई लीटर, तराजू व बांट कहॉ से आये व नमूने के लिए दो प्लास्टिक की बोतल कहॉ से आयी, इसका कोई उल्लेख फर्द में अंकित नहीं है और पी0डब्लू0–1 ने बयान में बताया है कि तौल माप के लिए मौके पर कोई तराजू, बांट नहीं मंगवाया गया था, न ही कोई चीज तौली गयी थी, न ही कोई चीज नापी गयी थी। फर्द में जो पांच कुन्टल लहन लिखा है, वह उसने अनुमान से लिख दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण लिखा पढ़ी अनुमान के आधार पर किया जाना प्रतीत होता है। लहन किस सामग्री का था और लहन कहॉ ले जाकर नष्ट किया गया, इसका भी उल्लेख फर्द में नहीं है। पी0डब्लू0–2 ने जिरह के पृष्ठ–5 पर कहा है कि जिन पतीलों में लहन भट्ठी पर चढ़े होने का कथन कह रहा है, उसको भी उसने बरामद नहीं किया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मौके पर लहन भट्ठी पर नहीं चढ़ा था, इसीलिए लहन वाला पतीला मौके पर बरामद नहीं किया जा सका। वादी मुकदमा पी0डब्लू0–2 ने जिरह के पृष्ठ–5 पर कहा है कि उसने मौके पर किसी सामग्री का कोई फोटो नहीं खींचा, न ही कोई वीडियो बनाया। घटना वर्ष 2022 की बतायी गयी, इस समय डिजिटल का समय चल रहा है। आजकल समाज में कोई घटना होने पर तुरन्त वीडियो बनाकर फेसबुक व इन्स्टाग्राम पर डाल दिये जाते हैं। पुलिसकर्मी अपने पास मोबाइल रखते है। पुलिस द्वारा मौके पर किसी सामग्री का मोबाइल से फोटो खींच कर उसका वीडियो न बनाना भी घटना को संदिग्ध बनाता है। उपरोक्त सभी विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से घटना को संदिग्ध बना देता है। अतः अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कच्ची शराब भट्ठी पर चढ़ाकर बनायी जा रही थी।

21. पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि बरामद कच्ची शराब को खरीदने हेतु कितने ग्राहक मौके पर खड़े थे और शराब पीने से कितने व्यक्ति बीमार हुए या कितने मृत्यु को प्राप्त हुए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा बेचने के लिए यूरिया मिलाकर कच्ची शराब बनायी जा रही थी।

22. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–7 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार एक व दो अंकित बोतलों का द्रव प्रत्येक के पृथक–पृथक विश्लेषण द्वारा अपमिश्रित इथाईल अल्कोहल पाया गया। नमूनो में अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 11.3 व 11.3 आयतन पाया जाना अंकित है, किन्तु यूरिया की मात्रा नहीं

बतायी है, केवल यह अंकित है कि दोनों नमूनों में यूरिया की उपस्थिति पायी गयी, परन्तु जिससे अपमिश्रित शराब के नमूने व यूरिया के नमूने सील सर्व मोहर कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जॉच हेतु भेजे थे, उनकी नमूना मोहर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जो अभियुक्तगण के पास से अपमिश्रित कच्ची शराब बरामद होना बताया जा रहा है, वही अपमिश्रित कच्ची देशी शराब विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजी गयी हो, इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्तगण के पास से जो कथित अपमिश्रित कच्ची देशी शराब व यूरिया बरामद हुई थी, उसी शराब में से जॉच हेतु नमूने लिये गये और उसी शराब की जॉच की गयी। ऐसी स्थिति में जॉच रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जॉच रिपोर्ट में यूरिया कितनी मात्रा में थी, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी अथवा नहीं। इसका कोई उल्लेख जॉच रिपोर्ट में नहीं है। इसलिए उक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

23. धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध साबित किये जाने के लिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति खाद्य या पेय को अपाय कर बनाकर बेंचे या सम्भाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेंची जायेगी, यह जानते हुए वह खाद्य या पेय पदार्थ को अपमिश्रित करता है, तो वह धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर यह विवेचित किया जा चुका है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि जो कच्ची शराब अभियुक्तगण द्वारा बनाई जा रही थी, वह बेंचने के लिए ही रखी थी। इस सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में असफल रहा है कि उक्त कच्ची शराब में इतनी मात्रा में यूरिया मिली हुई थी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी और उसके पीने से आदमी बीमार पड़ सकते थे। चूॅकि किसी व्यक्ति को उपहति कारित नहीं हुई है, उक्त पदार्थ किसी को उपलब्ध नहीं कराया गया और न बेंचा गया है। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 का अपराध साबित नहीं होता है।

24. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पुलिस वालों की फर्द बरामदगी में रवानगी जी.डी. का उल्लेख न किया जाना, रवानगी जी0डी0 पत्रावली में दाखिल न किया जाना, जनता के किसी साक्षी की गवाही लेने का प्रयास न किया जाना, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में घटना स्थल पर जाने से पहले पुलिस कर्मियों द्वारा एक दूसरे की तलाशी न लिया जाना, पी0डब्लू0–2 व 3 द्वारा न्यायालय में पहली बार ''एक दूसरे की तलाशी लेने के सम्बन्ध में एवं जनता के साक्षी लेने के सम्बन्ध में बयान दिया जाना, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी मेमो में घटनास्थल पर पी0डब्लू0–2 द्वारा अपराध संख्या अंकित किया

जाना, माल न्यायालय के अन्दर न लाया जाना, बल्कि माल न्यायालय परिसर में न्यायालय के बाहर लोडर पर रखा रहना और उसको न्यायालय में खोलकर न देखा जाना, पुलिस द्वारा भट्ठी, लकड़ी, कोयला राख बरामद न किया जाना। बरामद माल की मात्रा को अनुमान से अंकित किया जाना। पुलिस द्वारा मौके पर किसी सामग्री का फोटो न खींचा जाना और वीडियो न बनाया जाना, शराब को खरीदने हेतु किसी ग्राहक का मौके पर न होना, पत्रावली पर नमूना मोहर का न होना तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट विश्वसनीय न माने जाने से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम व धारा–272 भा०दं०सं० के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण नन्हकऊ एवं सूरज धारा–60(2) आबकारी अधिनियम व धारा–272 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप हेतु दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण नन्हकऊ एवं सूरज को अन्तर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

नन्हकऊ एवं सूरज जमानत पर है, उनके जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

नन्हकऊ एवं सूरज प्रत्येक द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करें, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक प्रभावी रहेंगे। यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो वे अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

दिनांक–16.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जेओ कोड यूपी06552,
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–16.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जेओ कोड यूपी06552,
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव